विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तरालेख
7 (क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि वन विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के जनपद सहारनपुर के ग्राम कैलाशपुर में भीमराव अंबेडकर पार्क पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जिसके कारण आम जनमानस को पार्क में घूमने व जाने में लोगों को रोका जाता है ?	जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क कैलाशपुर पर वन विभाग का अवैध रूप से कोई कब्जा नहीं है बल्कि कैलाशपुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की स्थापना हेतु वर्ष 1992 में जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश संख्या-87/2/भूमि व्यवस्था दिनांक 25.09.1992 द्वारा कैलाशपुर ग्राम समाज के खसरा संख्या-282 की 6-1-0 बीघा भूमि तथा आदेश संख्या-87/भूमि व्यवस्था दिनांक 25.09.1992 द्वारा उग्राहू ग्राम समाज के खसरा संख्या-164, 165 एवं 166 की 5-1-0 बीघा भूमि (कुल 11-2-0 बीघा अथवा 1.12 हेक्टेयर) वन विभाग को दी गयी। उक्त भूमि की कीमत रू0 46,215.00 (छियालीस हजार दो सौ पन्द्रह) मात्र का भुगतान वन विभाग द्वारा तत्समय ही कर दिया गया था। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वन चेतना केन्द्र के नाम दर्ज है। आम जनमानस का वन चेतना केन्द्र में प्रवेश प्रतिबन्धित नहीं है। आगन्तुकों का प्रवेश वन भूमि से सम्बन्धित प्रचलित नियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।
(ख) क्या इसके लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हाँ, तो क्या की गई ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अरूण कुमार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।